राजस्थान सरकार

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

प्रथम तल, राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल भवन
2–2 ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 0141–2702477/2702528

विज्ञप्ति संख्या 1/2013–14

राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु उर्दू शिक्षा सहयोगियों एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों को पूर्णतया अस्थायी रूप से संविदा पर रखने हेतु योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन प्रक्रिया –

1. संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन है। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया 02.07.2013 से प्रारम्भ होकर 21.07. 2013 तक रहेगी।
2. ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु आवेदक को ऑनलाईन फार्म एवं फीस भरनी होगी।
3. आवेदन जिलेवार पदों हेतु मांगे गए है। जिसका विवरण संलग्न है।
4. आवेदन पत्र में अभ्यार्थी को अपनी पसंद की तहसील का विकल्प देना होगा।
5. ऑनलाईन फार्म भरने के बाद फार्म का संपूर्ण प्रिंट आउट निकलेगा।
6. उक्त फार्म के प्रिंट आउट को वांछित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ चयनित अभ्यार्थी को काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा।
7. चयनित नहीं किए गए अभ्यार्थियों के फार्म बोर्ड में जमा नहीं करवाना होगा।
8. आवेदन पत्र की अंतिम तिथि पूर्ण होने के बाद न्यूनतम योग्यता एवं वरीयता के आधार पर सभी आवेदकों की वरीयता सूची ऑनलाईन जारी की जाएगी।
9. स्वीकृत पदों की संख्या में कमी एव बढ़ोतरी की जा सकती है।

1. **पदों का विवरण, न्यूनतम योग्यता, देय मानदेय राशि का विवरण :–**

पदनाम कोड	पदनाम	पदों की संख्या	मानदेय	अनिवार्य योग्यता		भाषा	
				शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षिक योग्यता	अनिवार्य	ऐच्छिक
MUPT	मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी	3326	4100/- PM	Senior Secondary (Academic) or equilent	BSTC/ B.Ed	Urdu	
MCPT	मदरसा कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	2500	4100/- PM	Senior Secondary (Academic) or equilent	As per Note No. 4		Urdu

नोट :–

1. मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगियों (MUPT) के लिए उर्दू योग्यता अनिवार्य है।
2. मदरसा कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी (MCPT)के लिए उर्दू योग्यता अनिवार्य नही है। इस पद हेतु उर्दू योग्यता रखने वाले को 20 प्रतिशत अतिरिक्त दिए जाएगे।
3. उर्दू योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक एवं उससे उच्च स्तर पर उर्दू विषय सहित परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. कम्प्यूटर योग्यता निम्न प्रकार होगी एवं वरीतयता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :–
   1. प्रथम वरीयता– निम्न में से कोई एक Degree योग्यता :–
      1. M.C.A./B.C.A. Degree from a university established by law in India.
      2. Graduate in Computer science/Electronics/ I. T. from a university established by law in India.
      3. Graduate with Computer subject from a university established by law in India.
      4. Other Equal Graduate Degree in computers from a university established by law in India.
   2. द्वितीय वरीयता– निम्न में से कोई एक Diploma/Certificate योग्यता :–
      1. P.G.D.C.A. /Other Equal Diploma in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India/Institution recognized by Govt. of India.
      2. "O" /"A" or higher level certificate course conducted by a University established by law in India/Institution recognized by Govt. of India/ DOEACC under control of Department of Electronics Govt. of India.
      3. "C" Certificate Course conducted by IGNOU.
      4. RS-CIT/COT Courses conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of RKCL.
      5. COPA/DPCS Certificate Conducted under national/State Council of Vocational Training Scheme.

2. **आयु सीमा** – राज्य सरकार के शिक्षक भर्ती नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार होगी।
   1. विज्ञापन जारी होने की दिनांक को न्यूनतम 18 से 35 वर्ष
   2. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देय होगी।
3. **आरक्षण–** सम्पूर्ण पद अस्थायी है अतः कोई आरक्षण नहीं होगा।
4. **आवेदन शुल्क** – ₹ 300/– (Non Refundable) प्रति आवेदन पत्र होगा।
5. **मूल निवास** – आवेदन के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
6. **आरोग्य प्रमाण पत्र** – चयनित अभ्यार्थियों को काउंसलिग में सक्षम राजकीय चिकित्सक से आरोग्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। जिसके अनुसार चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि अभ्यर्थी अध्यापन कार्य करवाने हेतु स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य है एवं ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाले।
7. **प्रसूति अवकाश** – चयनित महिला अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण की दिनांक से 6 माह तक प्रसूति अवकाश देय नहीं होगा।
8. **कार्य अवधि – उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से लिए जा रहे शिक्षा सहयोगियों की कार्यावधि पूर्णतः संविदा आधारित होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है –**
   1. सभी प्रकार के शिक्षा सहयोगियों की कार्य अवधि प्रारम्भ में 3 वर्ष होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर कार्य अवधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
   2. उपरोक्तानुसार अवधि को भी बोर्ड द्वारा कम किया जा सकता है।
9. **वरीयता का निर्धारण – विभिन्न पदों की वरीयता का निर्धारण अधिभारित प्रतिशत के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा।**
   1. बोर्ड में पंजीकृत अधिकांश मदरसे प्राथमिक स्तर के है। अतः उर्दू शिक्षा सहयोगियों पदों हेतु बीएसटीसी योग्यताधारियों को शिक्षा विभाग के प्रावधानों के अनुसार वरीयता दी जाएगी। बीएसटीसी योग्यताधारी उपलब्ध नहीं होने पर ही बीएड योग्यताधारी लिए जाएगे।
   2. विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्तांक के आधार पर वरीयता का निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार अधिभार दिया जाएगा –

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	प्राप्त प्रतिशत	अधिभार			अधिभारित प्रतिशत
			उर्दू शिक्षा सहयोगी		कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	
			BSTC	B.Ed		
1.	सैकण्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर	X	40%	40%	30%	प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
2	सीनियर सैकण्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर	X	30%	30%	20%	प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
3.	स्नातक या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर	X		5%	10%	प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
5.	बीएसटीसी या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर	X	30%			प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
	बीएड या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर	X		25%		प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
6.	कम्प्यूटर शिक्षा में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के आधार पर	X			20%	प्राप्त प्रतिशत x अधिभार
7.	उर्दू योग्यता					20% (केवल MCPT के लिए)

   3. मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगियों हेतु वरीयता निम्नानुसार बनाई जाएगी –
      1. प्रथम वरीयता – बीएसटीसी योग्यताधारी
      2. द्वितीय वरीयता – बीएड योग्यताधारी
   4. कम्प्यूटर योग्यता हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार बनाई जाएगी :–
      1. प्रथम वरीयता – कम्प्यूटर डिग्री (वरीयता क्रमांक 1 में वर्णनानुसार)
      2. द्वितीय वरीयता – कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स (वरीयता क्रमांक 2 में वर्णनानुसार)

3. **चयन प्रक्रिया :–**
   1. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता सूची जिलेवार जारी की जाएगी।
   2. ऑनलाईन प्रक्रियां में चूंकि आवेदक फार्म स्वयं भरता है एवं उसका प्रिट आवेदक को उपलब्ध करवाया जाता है। अतः आवेदन पत्र भरने में गलती होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। भौतिक रूप से अलग आवेदन नहीं लिया जाएगा।
   3. वरीयता सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा।

4. **काउंसलिग कार्यक्रम –**
   1. काउंसलिग में मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र में भरे गए तथ्यों की जांच की जाएगी।
   2. काउन्सलिंग में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को मदरसा आवंटन वरीयता के अनुसार किया जाएगा।

3. चयनित अभ्यर्थी को आवंटित मदरसे में कार्यग्रहण करना होगा एवं ₹ 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मदरसा प्रबंधन कमेटी से अनुबंध करना होगा।
4. प्रत्येक मदरसा शिक्षा सहयोगी को कार्य ग्रहण करने एवं अनुबंध करने की सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से बोर्ड को भेजेगा।

5. <u>**आवेदन की अंतिम तिथि**</u> – आवेदन फार्म ऑनलाईन भरने की अतिम तिथि 21.07.2013 होगी। पोस्टल अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगे।

6. **कमेटियों का गठन** – संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु निम्न कमेटियां गठित की जाती है :–

1. जिला स्तर पर गठित चयन कमेटी – प्रत्येक जिले में चयन एवं काउन्सलिंग तथा मदरसा आवंटन हेतु निम्न सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है –

1. जिला कलेक्टर या उनका नामांकित प्रतिनिधि (जो सहायक कलक्टर स्तर से कम का नाम हो)	– अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक या उसका प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से कम का ना हो)	– सदस्य
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	– सदस्य सचिव
4. मदरसा बोर्ड का सम्मानित बोर्ड सदस्य (अध्यक्ष मदरसा बोड द्वारा नामांकित)	– सदस्य

2. ग्रिवेन्स/परिवेदना कमेटी – प्रत्येक जिले में निम्न सदस्यों की एक ग्रिवेन्स कमेटी गठित की जाती है। यह कमेटी जिला स्तर पर गठित चयन कमेटी के निर्णयो/अभ्यार्थी के आवेदन पत्रों पर परिवेदना लेकर सुनवाई कर बोर्ड को अभिशंषा भेजेगी। जिसका निस्तारण पुनः सुनवाई कर मदरसा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

1. जिला कलेक्टर	– अध्यक्ष
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	– सदस्य सचिव

3. सुपरविजन कमेटी – संपूर्ण भर्ती प्रक्रियां का सुपरविजन करने, जिला कमेटियों से समन्वय स्थापित करने, आवश्यक निर्देश देने हेतु अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की एक सुपरविजन कमेटी गठित की जाती है।

1. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	– सदस्य
2. शासन उप सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	– सदस्य
3. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड	– सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार शिक्षा सहयोगियों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन कमेटियों के द्वारा किया जाकर चयनित अभ्यार्थियों को मदरसे आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद उक्त शिक्षा सहयोगियों का समस्त उतरदायित्व संबंधित मदरसे का होगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार शिक्षा सहयोगियों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। बोर्ड/विभाग द्वारा शिक्षा सहयोगियों के मानदेय भुगतान की राशि सीधे मदरसों को त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी। शिक्षा सहयोगियों को मानदेय का भुगतान मदरसे के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा सहयोगियों की सेवाएं पूर्णतया अस्थायी रूप से संविदा पर मदरसे के अधीन होगी।

(मोहम्मद फज़्ले हक)
अध्यक्ष

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
सचिव